



# हरीश चौधरी ने गहलोत की भारी किरकरी की बाड़मेर की जयहिंद रैली में

**हरीश चौधरी ने सार्वजनिक रूप से गहलोत के मेवाराम जैन व अमीन खां को पार्टी में वापस लेने के प्रयास पर तेज आवाज में भारी विरोध जताया**

**-रेण मित्तल-**  
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

नई दिल्ली, 27 मई कांग्रेस पार्टी के भीतर अशोक गहलोत द्वारा दो निलंबित नेताओं को पार्टी में सहायता लाने की कोशिश करने से विषया अंदरुनी कलह बढ़ गई है। ये दोनों नेता पूर्व मुख्यमंत्री के कर्मी थे जो जाते हैं।

हरीश चौधरी ने गहलोत की इस कोशिश का सार्वजनिक रूप से भारी विरोध किया है और दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से बहुला बहुला है।

एण्डीप सिंह सुरजेवाला जैसे नेता, जो पहले गहलोत की बात से सहमत होते थे, उन्होंने भी अब इस मामले से खुद को अलग कर रख दिया है और स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने निलंबित नेताओं को न तो बुलाया है और न ही वे उसे मिलेंगे।

जयहिंद रैली, जो कल बाड़मेर में हुई, उसमें हरीश चौधरी ने मंच से इस मुद्दे को उठाया है कि प्रदेश प्रभारी सुखिंदर सिंह रंधारा ने कुछ लोगों को अनुशासनीनत के लिए पार्टी से निकाला था, लेकिन कुछ लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं। उनका संकेत स्पष्ट रूप से अशोक गहलोत की ओर था, जिन्होंने मंच से खान की साधारणी की थी।

एण्डीप पर मामला और बिंगड़ गवाह हरीश चौधरी ने गहलोत का समान करते हुए कहा - "अगर आपको इन दोनों नेताओं से इतना ही प्रेय है, तो इन्हें अपने

- हरीश चौधरी ने गहलोत से कहा कि अगर ये दोनों राजनीतिक अपाको बहुत प्रिय हैं, तो आप इन दोनों को अपने घर ले जाएं और अपने साथ रखें। मैं, पश्चिम राजस्थान को ज्ञालावाड़ और पाली नहीं बनने द्वारा। आपको ओछी राजनीति के कारण पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस की यह स्थिति हुई है। आप इन दोनों के साथ बैठना चाहें तो बैठें, पर, मैं नहीं बैठूँगा।
- जैसा कि विदेशी है, मेवाराम जैन, उनकी सीढ़ी सार्वजनिक होने के बाद और अमीन खां गहलोत के इशारे से कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ थे तथा कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव हारे थे।
- प्रभारी सुखिंदर सिंह रंधारा ने दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।
- गहलोत, जयहिंद रैली के मार्फत, मेवाराम व अमीन खां को मंच पर बैठाकर पार्टी में शामिल करवाने का प्रयास कर रहे थे।
- पर, हरीश चौधरी ने सार्वजनिक रूप से गहलोत की साजिश का विरोध कर, गहलोत का प्रयास विफल किया।
- एण्डीप सिंह सुरजेवाला, हेमाराम चौधरी व डोटासरा ने भी गहलोत के इस प्रयास की निंदा की।
- सुरजेवाला ने दोनों के साथ मुलाकात करने से इन्कार कर दिया, यह कहकर कि मैंने इन दोनों को तो यहाँ बुलाया ही नहीं है।
- जब मेवाराम व अमीन खां को इतना रुखा व्यवहार मिला तो क्रोधित होकर अमीन खां ने कहा, "..... यह कांग्रेस पार्टी का अंत है।"

घर ले जाकर रहें।"

इस पर गुसाइ गहलोत बोले - "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की?"

हरीश चौधरी ने जवाब दिया - "पश्चिम में 12 में से 1 संसद जीत गया तो आपको तलावी को दूँढ़ा... ज्ञालावाड़ और पाली नहीं बनने द्वारा बाड़मेर को,"

**जस्टिस संजीव शर्मा के राजस्थान ट्रांसफर की सिफारिश**

जयपुर, 27 मई। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से संसद संजीव शर्मा को उनके मूल राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला करने की सिफारिश की है। वहाँ, राजस्थान हाईकोर्ट से जस्टिस श्रीविजयेश्वर को बांधे हाईकोर्ट व जस्टिस अरुण कुमार मोगा को दिल्ली

■ जस्टिस संजीव शर्मा 2016 में राजस्थान में जज बने थे, फिर 2022 में उनका पठना हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गया था।

हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के 21 हाईकोर्ट जॉर्डों को विभिन्न प्रकार के अधिकारी बनाए हुए हैं, तथा विभिन्न विधायिक संघों में संसद संघ में ही सीमित संख्या में ही, तबकिं उनकी सतर्कता बहेद जस्ती है। मात्रक, वास्थ थोने की आदत और भीड़-भाड़ से बचाव अब भी प्रासंगिक है।

हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के 21 हाईकोर्ट जॉर्डों को विभिन्न प्रकार के अधिकारी बनाए हुए हैं, तथा विभिन्न संघों में ही सीमित संख्या में ही, तबकिं उनकी सतर्कता बहेद जस्ती है। मात्रक, वास्थ थोने की आदत और भीड़-भाड़ से बचाव अब भी प्रासंगिक है।

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट में दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने अपने बड़े बेटे

तेज प्रताप द्वारा वायरल के छह साल के लिए पार्टी से ही नहीं, बाल्कि परावार से भी सिफारिश की गई है